

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- 1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1	परियोजना विवरण :-	
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव /परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग जिला-कोरबा छ०ग० द्वारा ग्राम स्याहीमुड़ी कक्ष क्र. - P533 रकबा 4.34 हे० दिबांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत है।
(ii)	1:50000 स्क्ल मैप पर वनभूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	5271.97 लाख।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	जिला मुख्यालय के आसपास रिक्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण रिक्त वन क्षेत्र का चयन स्थानीय छात्र/छात्राओं के व्यवसायिक, औद्योगिक, बौद्धिक एवं शारिरिक शिक्षा के विकास के लिए किया गया है।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने के की संभावना है।	लगभग 200/- कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध होगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।	परिक्षेत्र - कटघोरा उद्देश्य - जिले में शिक्षा का विकास वनभूमि - 4.34 हे०
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	आवेदित वनभूमि में किसी व्यक्ति का आवास नहीं है, इसलिए आवेदित वनभूमि से लोगों को विस्थापित नहीं किया जावेगा।
(i)	परिवार की संख्या।	निरंक
(ii)	अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या।	निरंक
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवेदित भूमि में किसी भी तरह का पुनर्वास नहीं किया जाना है।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के	इस परियोजना में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम

4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/ नहीं)	इस परियोजना में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यकता नहीं है।
5	प्रतिपूरक नवीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/ या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	वचन पत्र संलग्न नहीं है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों क/ दस्तावेजों की ब्यौरा।	
(i)	वनभूमि के अलावा अन्य कोई विकल्प न होने तथा वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण पत्र।	संलग्न है।
(ii)	ऐतिहासिक स्थल न होने पर संबंधित प्रमाण पत्र	संलग्न है।

दिनांक :- 12/04/2018

स्थान :- कोरबा


 (श्रीकांत दुबे)
 सहायक आयुक्त,
 आदिवासी विकास कोरबा

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-2

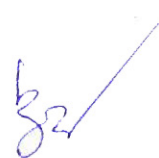
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7.	परियोजना / स्कीम का स्थान	दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय, स्याहीमुड़ी कोरबा
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(ii)	जिला	कोरबा
(iii)	वन प्रभाग	कटघोरा
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन	पी 533 = 4.34 हे.
(v)	वन कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ. आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. -2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल.4 मी. भी संलग्न किये जाये।	प्रस्तावित क्षेत्र में 30 से.मी. से अधिक गोलाई वर्ग के एक भी वृक्ष उपलब्ध नहीं है एवं 30 से.मी. से नीचे गोलाई वर्ग के पौधों को इस गणना में शामिल नहीं किया गया है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	प्रस्तावित क्षेत्र में भू-क्षरण की संभावना नहीं है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	0 कि.मी.
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	नहीं है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं है।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्रधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	अपरिहार्य और न्यूनतम है। जांचे गये विकल्पों के विवरण संलग्न है।

9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	उल्लंघन नहीं हुआ है।
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा।	संलग्न है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए चयनीत क्षेत्र आ.व.ख. क्रमांक OA776 है एक ही भू-खण्ड में है तथा उसका आकार ब्लाक का आकार है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	संलग्न है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	रुपये 59,42,196/-
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जायें)	प्रस्तावित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, तत्संबंधित प्रमाण पत्र उप वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त कर संलग्न है।
11.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें।)	क्षेत्र में वनस्पति और वन्यप्राणी की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियां कोई नहीं पाई जाती है। प्रस्तावित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित नहीं है। व्यपवर्तन हेतु मांगी गयी भूमि अपरिहार्य और न्यूनतम है। जांचे गये विकल्पो के विवरण पूर्व में बिन्दु क्रमांक - 08 में संलग्न है, तथा इस क्षेत्र में अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य नहीं किया गया है।
12.	विभाग / जिला प्रोफाईल	कटघोरा वनमण्डल, कोरबा जिला
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	7145.44 वर्ग कि.मी.
(ii)	जिले का वनक्षेत्र	4187.375 वर्ग कि.मी.
(iii)	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	30 प्रकरण 3391.699 हे.

(iv)	1980 से जिला/ प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	निरंक निरंक
(v)	2017-2018 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वनभूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	1434.248 हे. निरंक
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	कोरबा जिला के अंतर्गत पिछड़ी जनजातियों के छात्र/छात्राओं के निरंतर व्यवसायिक, औद्योगिक, बौद्धिक एवं शारिरिक शिक्षा के विकास के लिए परियोजना का चयन किया गया है। जिसको ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव के स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक : 18/04/2018
स्थान : पी 533 (स्याहीमुड़ी)


वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

प्रपत्र-03

**वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग- III

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	

दिनांक :

स्थान :

प्रपत्र-04

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग- IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के
लिये)

17.	टिप्पणियां के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राया और निर्देष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियां की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।	
-----	--	--

दिनांक :

स्थान :